उत्तराखण्ड शासन
शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक)
संख्या–1469 / XXIV(1) / 2010–45 / 2008 T.C.III
देहरादूनः दिनांकः 08 अप्रैल, 2011

अधिसूचना

राज्यपाल, बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–35 वर्ष,2009) की धारा 2 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके निम्नलिखित वर्ग के बच्चों को अपवंचित समूह के रूप में विनिर्दिष्ट करते हैं:–

1. अनुसूचित जाति;
2. अनुसूचित जनजाति;
3. राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य पिछडा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर)।
4. अनाथ बच्चे;
5. शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे जो, निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागादीरी अधिनियम, 1995 (अधिनियम संख्या 1 वर्ष 1996) के प्रावधानों के अन्तर्गत अर्ह हों;
6. ऐसे बच्चे जो ऐसी विधवा अथवा तलाकशुदा माता पर आश्रित हों जिनकी वार्षिक आय रू0 80,000 /– से कम हो;
7. एच.आई.वी.+ बच्चे या एच.आई.वी.+ माता–पिता के बच्चे;
8. निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदीरी अधिनियम, 1995 (अधिनियम संख्या 1 वर्ष 1996) में यथा परिभाषित विकलांग माता–पिता (कोढ़ से ग्रसित व्यक्तियों सहित) जिनकी वार्षिक आय रू0 4.5 लाख से कम हो, के बच्चें।

उक्त के अतिरिक्त राज्यपाल, यह भी निर्देश देते है कि अपवंचित समूह के समस्त बच्चों में 50 प्रतिशत बालिकायें अनिवार्य रूप से सम्मिलित की जॉय।

(मनीषा पंवार)
सचिव।

संख्या–[handwritten] / XXIV(1) / 2010–45 / 2008T.C. / तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड (ख) (परिनियत आदेश) के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

संख्या–[handwritten] / XXIV(1) / 2010–45 / 2008T.C. / तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा देहरादून।
2. राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिये शिक्षा परिषद्, देहरादून।
3. अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल / कुमॉऊ मण्डल, पौड़ी / नैनीताल।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ओ0पी0तिवारी)
उप सचिव।